...य सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

...आवेदन सं. 229/2021

...सीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी – 1. माठीना खां पुत्र मीया खां जाति मुसलमान
निवासी रहुमा अजीम की बस्ती बींजासर तहसील धनाऊ जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. नवाब खां पुत्र मीया खां जाति मुसलमान
निवासी रहुमा अजीम की बस्ती बींजासर तहसील धनाऊ जिला बाडमेर।
2. मूलीदेवी पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी शिवनगर भीमथल
तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री दोष मोहम्मद**
विप्रार्थी संख्या 1 के वकील – **श्री मांगाराम जयपाल**

सहायक कलक्टर सेड़वा

निर्णय

दिनांक :– 28.09.2022

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 रा.का.अधि. का अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त पैतृक खातेदारी के खेत मौजा रहुमा अजीम की बस्ती पटवार क्षेत्र बींजासर के खेत खसरा संख्या 767/299 रकबा 50.00 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा रहुमा अजीम की बस्ती पटवार क्षेत्र बींजासर तहसील सेडवा के खेत खसरा संख्या 767/299 रकबा 50 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में बनता है। तथा पक्षकारान इसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थी की अपने हिस्से की भूमि में रहवासी ढाणियां, चारागाह, पशुबाड़े, इत्यादि बने हुए है। विवादाग्रस्त आराजी में प्रार्थी व विप्रार्थी अपने–अपने हिस्से माफिक मौके पर काबिज है तथा वर्तमान में इसी हिस्सा माफिक पक्षकारान का मौके पर कब्जा व काश्त है सभी ... पक्षकारो के आपस में बाहमी तौर से भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन राजस्व ... में उक्त वादग्रस्त प्रार्थी व विप्रार्थी के नाम संयुक्त दर्ज होने से व मौके पर आ... बाहमी तौर से किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:32:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

ूनी रूप से भूमि का बंटवाड़ा कर पृथक की हुई नहीं होने से प्रार्थी को अपने हिस्से का फसल बीमा आदि करवाने में अपने हिस्से की भूमि को मौके पर कब्जा व काश्त के बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा का पृथक करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर रहवासी ढाणीयां, पशुवाड़ा आदि बने हुए है परन्तु वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में हिस्से नहीं खुले होने व बंटवाड़ा नहीं किये होने के कारण विप्रार्थी, प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलदांजी करते है तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है एवं प्रार्थी को यह भी धमकियां दे रहे है कि वह प्रार्थी को उक्त से बेदखल करने से कामयाब नहीं हुए तो वह प्रार्थी की उक्त भूमि का बेचान अन्य किसी सरजोर व्यक्तियों की मदद से प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देगें, यदि विप्रार्थी अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में करना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा, इसलिए प्रार्थी विप्रार्थी के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि विप्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा न ही उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करे, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा रहुमा अजीम की बस्ती पटवार क्षेत्र बींजासर के खेत खसरा संख्या 767 / 299 रकबा 50 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा नहीं उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तांतरण करें। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 229 / 2021 दिनांक 29.10.2021 मौजा रहुमा अजीम की बस्ती पटवार क्षेत्र बींजासर के खेत खसरा संख्या 767 / 299 रकबा 50 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलदांजी स्वयं करे एवं न ही किसी के मार्फत करवायें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करे के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन [illegible] जारी किया गया।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण [illegible] प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया [illegible] उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। [illegible] प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निम्नानुसार है– उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा
सहायक कलक्टर सेड़वा

...धार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या ... अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा विप्रार्थी संख्या 1 की अपने हिस्से की भूमि ...वासी ढाणी, चारागाह व टांका व बाड़े इत्यादि कब्जा बना हुआ है। विप्रार्थी संख्या 1 किसी ... प्रकार से प्रार्थी के हिस्से की भूमि में जबरन बेदखल करने की कोई कोशिश नहीं की है तथा न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकियां वगैरा दी गई है। विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जे की भूमि को किसी को बेचान करने का आमादा नहीं है। जिससे प्रार्थी किसी भी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। न ही विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को किसी प्रकार से बेदखल करना चाहता है तथा विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की जमीन (भूमि) किसी को बेचान या किसी अन्य प्रकार का हस्तान्तरण नही करेगा। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को किसी प्रकार का बिनायदावा पेश नहीं होता है तथा सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को कतेही सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त आवेदन को खर्जा हर्जा खारीज फरमावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील द्वारा लिया गया एकतरफा स्थगन आदेश सारहीन, गलत व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारीज किया जाता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 229/2021 दिनांक 29.10.2021 के मौके एवं रेकर्ड के स्थगन को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:54 IST
Reason: SelfAttested